

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 327]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई 2020—आषाढ़ 30, शक 1942

राजभवन

रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2020

आदेश

क्रमांक एफ 1-6/2019/रास/यू.-4.—इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम, 2019) की धारा 12 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अनुसुईया उइके, कुलाधिपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ एतद्द्वारा श्रीमती मोक्षदा चन्द्राकर (ममता चन्द्राकर) सी-22, वल्लभ कालोनी, साईं मंदिर के पास, रायपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ का कुलपति नियुक्त करती हूँ.

2. श्रीमती मोक्षदा चन्द्राकर का कार्यकाल, उपलब्धियाँ तथा सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होगी.

अनुसुईया उइके,
कुलाधिपति.